

25

अंचल अधिकारी का कार्यालय, तोपचौंची(धनबाद)

अभिलेख सं०...101(11)..../2016-17

वाद का प्रकार - बिहार(झारखण्ड) भूमि सुधार अधि० 1950 की धारा 4(h) के तहत जॉच एवं कार्रवाई से संबंधित।

पदाधिकारी आदेश

14/10/16

झारखण्ड सरकार के झापांक 2074/रा० दिनांक 12.05.2016 सहपाठित श्री अनुज मुखर्जी निदेशक, भू-अर्जन- सह - विशेष सचिव, रानरव एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या- 3 - खा०म०निति - 119/85/2308/रा० दिनांक 03.09.1985 एवं सह-पाठित राजरव विभागगीय परिपत्र संख्या - 914/रा० दिनांक 09.12.1998 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि की कायम की गयी जमाबंदियों की जॉच प्रारम्भ की गयी। जॉच के दम में हल्का राजरव कर्मचारी एवं प्र०अ०नि० द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नांकित विवरणी की भूमि :-

मौजा विशुनपुर थाना न० ०० खाता न० २९  
 प्लॉट न० ८ रकबा ०.०५ एकड़ की  
 भूमि जो गैरमजरूआ खास, अनाबाद बिहार(झारखण्ड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी II के जिल्द सं० के पृष्ठ संख्या १०१ पर जमाबंदी रैयत श्रीप्रत्या मुख्त वरुण के नाम से कायम है।

हल्का कर्मचारी एवं प्र०अंचल निरीक्षक द्वारा जॉचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरुद्ध कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है।


हल्का कर्मचारी एवं प्र०अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/अवैध बंदोबस्ती के आधार पर/अवैध कोडकर बंदोबस्ती के आधार पर/अवैध लगान निर्धारण के आधार पर/सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है।

प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार(झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जॉच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।

अतएव, संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खण्ड से संबंधित मूल दरतावेजों/निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण पृच्छा करें, कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशसित किया जाए।

अभिलेख दिनांक 28/10/16 को उपस्थापित करें।

अंचल अधिकारी,  
तोपचौंची

तिथि	पदाधिकारी आदेश	अभियुक्ति
28/10/16	<p>अभिलेख उपस्थापित। नोटिस का तामिला के क्रम में पाया गया कि स्थल पर संदिग्ध जमाबंदी रैयत का प्लोट खाली है। संबंधित राजस्व कर्मचारी एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक ने प्रतिवेदित किया है कि भूमि झारखण्ड सरकार के खाते कि भूमि है एवं BPHT के तहत जमाबंदी कायम की गई है। झारखण्ड सरकार के भूमि पर BPHT के तहत बंदोबस्ती देना उचित प्रतीत नहीं होता है।</p> <p>अतः जमाबंदी को संदेहास्पद जमाबंदी का मामला मानते हुए जमाबंदी रद्द करने की अनुशंसा की जाती है।</p> <p>अभिलेख भूमि सुधार उप समाहर्ता, धनबाद को भेजे।</p> <div style="text-align: right;">   अंचल अधिकारी  तोपचाँची। </div>	